भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 226

सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक)

ई-श्रम पोर्टल के बारे में जागरूकता

***226. श्री मुकेश राजपूतः**
श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजीकृत श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल से जुड़ी वित्तीय सहायता या कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त ई-श्रम पोर्टल के बारे में जागरुकता बढ़ाने तथा विशेषकर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई गई योजना और कार्यनीतियां क्या हैं;

(ग) यदि हां, तो भविष्य में ई-श्रम पोर्टल में क्या प्रमुख सुधार करने या इसे किस प्रकार अद्यतन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की बदलती जरुरतों को पूरा करने के लिए उक्त प्रणाली को किस प्रकार विकसित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"ई-श्रम पोर्टल के बारे में जागरूकता" के संबंध में माननीय सांसद श्री मुकेश राजपूत और श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा दिनांक 17.03.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 226* के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों (एनडीयूडब्ल्यू) का आधार से जुड़ा एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए दिनांक 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल (eshram.gov.in) का शुभारंभ किया है। ई-श्रम पोर्टल का लक्ष्य असंगठित कामगारों को स्व-घोषणा के आधार पर एक यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) जारी करके उनका पंजीकरण और सहायता करना शामिल है।

ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 9 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 30.70 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने पंजीकरण करा लिया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य के 19.89 लाख से अधिक असंगठित कामगार शामिल हैं।

असंगठित कामगारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए ई-श्रम को वन-स्टॉप-सॉल्यूशन के रूप में विकसित करने के बजट घोषणा के विजन को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" की शुरुआत की। ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याणकारी योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत करना आवश्यक है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच प्रदान करने और ई-श्रम द्वारा अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों/सुविधाओं को देखने में सक्षम बनाता है।

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 13 योजनाओं को ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैपिंग किया जा चुका है, जिनमें प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत - प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी -पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम -केएमवाई) शामिल हैं।

पंजीकरण प्रक्रिया में चुनौतियों का समाधान करने तथा हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित करना।

ii. कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के साथ नियमित बैठक।

iii. रोजगार और कौशल के अवसर प्रदान करने के लिए, ई-श्रम को राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) और स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

iv. पेंशन योजना के तहत नामांकन की सुविधा के लिए, ई-श्रम को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) के साथ एकीकृत किया गया है।

v. सरकारी योजनाओं की एक ही स्थान पर जानकारी प्राप्त करने के लिए ई-श्रम को माईस्कीम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

vi. जागरूकता पैदा करने के लिए एसएमएस अभियान।

vii. ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए कामगारों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है। असंगठित कामगारों हेतु सहायताप्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं को शामिल किया गया।

viii. ई-श्रम को न्यू-ऐज गवर्नेन्स के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन (उमंग ऐप) भी आरंभ किया गया है, ताकि श्रमिकों के बीच पहुंच बढ़ाई जा सके और उनके मोबाइल पर सुविधानुसार पंजीकरण/अद्यतन करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

ix. ई-श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 7 जनवरी 2025 को भाषिनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके ई-श्रम पोर्टल पर बहुभाषी कार्यात्मकता शुरू की। इस वृद्धि से अब कामगार 22 भारतीय भाषाओं में ई-श्रम पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इससे पहुंच में सुधार होगा है और सभी के लिए समान पहुँच को बढ़ावा मिलेगा।

असंगठित कामगारों के लिए ई-श्रम और इससे संबंधित सेवाओं की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 24 फरवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर ई-श्रम मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत की है। यह एप्लिकेशन ई-श्रम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत कल्याणकारी योजनाओं तक सही समय पर पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पहुंच और उपयोगकर्ता की सुविधा दोनों में काफी बढ़ोतरी होती है।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोर्टल पर नामांकन एक सतत प्रक्रिया है। आवश्यकतानुसार पोर्टल में सम्यक सावधानी बरतने के साथ परिवर्तन किए जा रहे हैं।

*****